न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 169 / 2016

उनवान

1. छोगा पुत्र हजारी बलाई निवासी रामपुरिया तहसील करेडा जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. कस्तुर पिता गंगाराम कुमावत निवासी डांग का खेडा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 170 / 2011 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.6.2016

——

अधिवक्तागण :—

1. श्री विनोद कुमार तिवाडी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ए आर पठान ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी
3.. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 20.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चावण्डिया में वादी के स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजी नम्बर 2237 / 246 रकबा 2 बीघा, आराजी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नम्बर 2283/246 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 246 रकबा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 246/1 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 203/1 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 2344/203 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 ने आराजी नम्बर 246 रकबा 18 बिस्वा पर एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने आराजी नम्बर 246/1 रकबा 16 बिस्वा पर कब्जा कर रखा है। दिनांक 3.2.2009 को प्रतिवादीगण वादी की उक्त आराजियात पर आये और आराजी की सीमा को लेकर विवाद कर लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये। जिस पर वादी ने वादग्रस्त आराजियात की पत्थर गढी करवाये जाने बाबत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के यहॉ प्रार्थना पत्र दिनांक 5.2.2009 को प्रस्तुत किया । जिस पर दिनांक 13.6.2009 को मौके पर पत्थरगढी प्रतिवादीगण एवं अन्य खातेदारों की उपस्थिति में करवाई गई। तब वादी को जानकारी हुई कि वादी की आराजियात के दक्षिण दिशा में यानि आराजी नम्बर 246 रकबा 18 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 1 ने एवं आराजी नम्बर 246/1 रकबा 16 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 2 ने कब्जा कर रखा है तथा पटवार हल्का एवं गिरदावर द्वारा वादी को यह हिदायत दी गई कि सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर कब्जा प्राप्त करें, जिस पर वादी द्वारा पत्थरगढी के मौके पर्चे की नकल प्राप्त की एवं मौके पर्चे की नकल से जानकारी हुई कि किस प्रतिवादी ने कितनी भूमि पर किस दिशा में कब्जा कर रखा है। इस प्रकार वाद कारण दिनांक 3.2.2009 से उत्पन्न होकर जारी है। अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की कब्जेयाबी की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम चावण्डिया पटवार हल्का चावण्डिया तहसील माण्डल की आराजी नम्बर 246 रकबा 18 बिस्वा से प्रतिवादी संख्या 1 एवं आराजी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नम्बर 246/1 रकबा 16 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जा हटाया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात ग्राम चावण्डिया पटवार हल्का चावण्डिया तहसील माण्डल वर्तमान तहसील करेडा जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 246 के बाबत उक्त वाद पत्र अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अपीलार्थी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त पत्रावली वास्ते तनकियात कायमी हेतु नियत होकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.10.2018 की सुनवाई हेतु नियत थी। राज्य सरकार द्वारा राजस्व मामले को निपटाने हेतु राजस्व शिविर संबंधित ग्राम पंचायतों पर लगवाये गये। जिस पर दोनों पक्षों को सुना जाकर राजीनामे से निपटारा करने की मंशा थी। परन्तु अपीलाधीन प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धान्त व कानून की मंशा के विपरीत सुनवाई करते हुए कानून को ताक में रखकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो निरस्त योग्य है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 15.6.2016 को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

राजस्व कैम्प चावण्डिया में रखा गया । जिसकी कोई सूचना अपीलार्थी/प्रतिवादी को नहीं दी गई। प्रत्यर्थी/वादी को भी इस बाबत किसी प्रकार की सूचना नहीं होने के कारण वह भी राजस्व शिविर में उपस्थित नहीं हुए। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने किसी भी पक्षकार के उपस्थित नहीं होने के बावजूद पत्रावली का मेरिट पर अवलोकन करके अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया तथा वादी का वाद पत्र वादी की अनुपस्थिति में ही कानून से परे जाकर स्वीकार कर दिया । जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि वाद पत्र की सुनवाई हो और यदि वादी और प्रतिवादी में से सुनवाई के समय कोई उपस्थित नहीं हो तो वादी का वाद पत्र अदम हाजरी में खारिज किया जायेगा। जबकि उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अव्वल तो अपीलार्थी को राजस्व लोक अदालत कैम्प में प्रकरण की सुनवाई किये जाने की कोई सूचना ही नहीं दी गई तथा अनुपस्थिति लिखते हुए वाद पत्र को निर्णित कर दिया गया। जो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। अपीलाधीन निर्णय विधि के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट/वादी ने जिस वादग्रस्त आराजी बाबत बेदखली का वाद पत्र प्रस्तुत किया था। उस पर अपीलार्थी का कब्जा उसके बाप दादाओं के वक्त से ही चला आ रहा है। अपीलार्थी व रेस्पोडेण्ट की आराजियात के मध्य 25–30 वर्ष पूर्व ही पत्थरों की कोट बनी हुई है। जिसका वर्णन अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब दावे में किया गया है। स्वयं रेस्पोडेण्ट/वादी ने भी अपने वाद पत्र में यह तथ्य कहीं भी अंकित नहीं किया है कि अपीलार्थी द्वारा उसे किस दिनांक को अथवा कितने समय पूर्व उसकी खातेदारी आराजी से बेदखल किया गया था अथवा कब्जा किया गया था। जबकि धारा 183 राजस्थान काश्तकारी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिनियम के अन्तर्गत बेदखली हेतु वाद प्रस्तुत करते समय यह तथ्य अंकित करना आवश्यक है कि उसे वादग्रस्त आराजी पर कब्जा कब किया गया है। उसी दिनांक से ही वादी 12 वर्षो के भीतर ही बेदखली हेतु वाद पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उक्त वाद पत्र में भी उक्त तथ्य को वादी को साबित करना चाहिये था । जिसके लिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न तो तनकियात कायम की गई और न हीं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर ही प्रदान किया गया । प्रकरण तनकियात कायमी में नियत होने के बावजूद राजस्व कैम्प में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से खारिज येाग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात के बाबत अपीलार्थी द्वारा भी प्रत्यर्थी कस्तुर कुमावत के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर रखा था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन वाद पत्र का ही निस्तारण किया जो विधि की मंशा के विपरीत पारित किया गया है इसलिए अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया।

8. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी/वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा वादी की वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा किये जाने के कारण कब्जा हटाया जाकर पुनः कब्जा वादी को दिलाये जाने का निवेदन किया था। जिस पर प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

था। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध जवाब दावा एवं पत्थरगढी की मौका पर्चा में अंकित रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तोवजात का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी का निवेदन है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है जिससे वह अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गया । प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प में निस्तारण किया गया । जबकि राजस्व लोक अदालत कैम्प में प्रकरण को रखे जाने की कोई सूचना अपीलार्थी को नहीं दी गई। उभयपक्ष की अनुपस्थिति के बावजूद भी मेरिट पर प्रकरण का निस्तारण किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी/वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया । जो दिनांक 4.7.2011 को दर्ज रजिस्टर किया गया था एवं प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये थे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा संलग्न है। जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने के संबंध में यद्यपि आदेशिका में कोई अंकन नहीं किया गया है। परन्तु दिनांक 23.4.2015 की आदेशिका में तनकियात कायमी हेतु प्रकरण को दिनांक 7.5.2015 को नियत किया गया है। उसके उपरान्त आदेशिका दिनांक 19.10.2015 एवं दिनांक 10.12.2015 को भी प्रकरण तनकियात कायमी का अंकन कर आगामी तारीख पेशी नियत की गई है। इससे यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे को पत्रावली में संलग्न किया गया था जिसकी जानकारी अधिनस्थ न्यायालय को थी।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10. दिनांक 22.1.2016 को अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार किये जाने के कारण प्रकरण मे आगामी कार्यवाही हेतु पेशी दिनांक 13.5.2016 नियत की गई थी। परन्तु दिनांक 13.5.2016 को कोई आदेशिका नहीं लिखी गई है। प्रकरण को सीधे ही दिनांक 15.6.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प चाविण्डया में रखा गया। पत्रावली अनुसार प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प चावण्डिया में दिनांक 15.6.2016 को रखे जाने की कोई सूचना पक्षकारान को नहीं दी गई। इस बाबत अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई सूचना पत्र संलग्न नहीं है। ऐसे में यह प्रतिपादित होता है कि पक्षकारान को सूचना पत्र जारी नहीं किये जाने के कारण दिनांक 15.6.2016 को न तो वादी उपस्थित हुआ एवं न ही प्रतिवादी ही उपस्थित हो पाया था। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 15.6.2016 में भी वादी एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति का अंकन किया जाकर प्रकरण को मेरिट पर निस्तारित किया जाना अभिलिखित किया गया है।

11. प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के उपरान्त प्रंकरण तनकियात कायमी में लंबित चल रहा था। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम कर नैसार्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर गुणावगुण के आधार पर विस्तृत निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। प्रकरण का निस्तारण राजस्व लोक अदालत कैम्प में किया गया है जबकि राजस्व लोक अदालत में उभयपक्ष की उपस्थिति ही सुनिश्चित नहीं की गई है। अपीलाधीन प्रकरण मे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बगैर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

12. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.6.2015 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, साक्ष्य के आधार पर तनकीवाईज गुणागवुण के आधार पर विस्तृत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 9/10/19 को उपस्थित रहे।

13. निर्णय आज दिनांक 20.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

20/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा